



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042024-253814  
CG-DL-E-22042024-253814

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946

No. 237]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 251(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या नियतन) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में, "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ झूटी पद	53
पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश (पुलिस बल के प्रमुख)	1

अपर पुलिस महानिदेशक, एसवी & एसीबी	1
अपर पुलिस महानिदेशक, (सीआईडी)	1
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था	1
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध)	1
पुलिस महानिरीक्षक, एसवी और एसीबी	1
पुलिस महानिरीक्षक, कानून और व्यवस्था	1
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	1
पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण और अनुसंधान	1
पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण और प्रशासन	1
पुलिस महानिरीक्षक, रेंज	3
पुलिस महानिरीक्षक, सी एवं टीएस लॉजिस्टिक्स	1
प्रधानाचार्य - पीटीसी (दारोह)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (आसूचना और सुरक्षा)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, एसवी और एसीबी	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, टीटी एंड आर	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, एनसीबी (सीआईडी)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, साइबर अपराध (सीआईडी)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, ईओडब्ल्यू	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (अपराध शाखा)	1
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा)	1
पुलिस अधीक्षक, एसवी और एसीबी जोन	3
पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	1
पुलिस अधीक्षक, शिमला	1
पुलिस अधीक्षक, सिरमौर	1
पुलिस अधीक्षक, सोलन	1
पुलिस अधीक्षक, चंबा	1
पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा	1
पुलिस अधीक्षक, ऊना	1
पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर	1
पुलिस अधीक्षक, मंडी	1
पुलिस अधीक्षक, कुल्लू	1
पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर	1
पुलिस अधीक्षक, लाहौल एवं स्पीति	1
कमांडेंट, बटालियन, जंगा	1

	कमांडेंट, बटालियन, धर्मशाला	1
	कमांडेंट, बटालियन, पानदोह	1
	कमांडेंट, बटालियन, ऊना	1
	कमांडेंट, चौथी आईआर बटालियन, जंगल बेरी, हमीरपुर	1
	कमांडेंट, पांचवी आईआर बटालियन, महिला बटालियन, बस्सी, विलासपुर	1
	कमांडेंट, छठी आईआर बटालियन, कोलार जिला सिरमौर	1
	पुलिस अधीक्षक, जिला बदी	1
	पुलिस अधीक्षक, (साइबर अपराध) सी.आई.डी.	1
	पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय	1
	पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस नूरपुर	1
1	कुल वरिष्ठ झूटी पद	53
2	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	21
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	13
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	01
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	08
6	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं	29
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	67
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	96"

[फा. सं. 11052/06/2023- अ.भा.से.-II (क)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

नोट (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पहले, हिमाचल प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पदों की संख्या 94 थी।

नोट (2): प्रमुख विनियम दिनांक 22 अक्टूबर 1955 की एसआरओ सं. 3351 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इन्हें तत्पश्चात, हिमाचल प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था:-

क्र.सं.	सा.सं.नि.का.	तारीख
1.	455(अ)	22.08.75
2.	607 (अ)	12.09.77
3.	344(अ)	20.04.83
4.	158	18.02.84
5.	891	19.11.88
6.	537	21.09.91
7.	243	28.05.94
8.	320(अ)	31.03.95

9.	740 (अ)	31.12.97
10.	96(अ)	27.02.98
11.	47	12.01.01
12.	89(अ)	16.02.07
13.	192(अ)	24.03.09
14.	511 (अ)	16.06.10
15.	326(अ)	18.03.2016

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2024

**G.S.R. 251 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely:-

- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Himachal Pradesh” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: —

**“Himachal Pradesh**

<b>Senior Duty Posts under the State Government of Himachal Pradesh</b>	<b>53</b>
Director General of Police, Himachal Pradesh (Head of Police Force)	1
Additional Director General of Police, SV & ACB	1
Additional Director General of Police, (CID)	1
Additional Director General of Police, Law & Order	1
Additional Director General of Police, Armed Police & Training	1
Inspector General of Police, (Crime)	1
Inspector General of Police, SV & ACB	1
Inspector General of Police, Law & order	1
Inspector General of Police, Intelligence	1
Inspector General of Police, Armed Police	1
Inspector General of Police, Police Academy, Training and Research	1
Inspector General of Police, Welfare & Administration	1
Inspector General of Police, Ranges	3

Inspector General of Police, C & TS Logistics	1
Principal - PTC (Daroh)	1
Deputy Inspector General of Police (Crime)	1
Deputy Inspector General of Police (Intelligence & security)	1
Deputy Inspector General of Police, SV & ACB	1
Deputy Inspector General of Police, TT & R	1
Deputy Inspector General of Police, NCB (CID)	1
Deputy Inspector General of Police, Cybre Crime (CID)	1
Deputy Inspector General of Police, EOW	1
Asstt. Inspector General of Police, HQ	1
Superintendent of Police, CID (Crime Branch)	1
Superintendent of Police, CID (Special Branch)	1
Superintendent of Police, SV & ACB Zones	3
Superintendent of Police, Kinnaur	1
Superintendent of Police, Shimla	1
Superintendent of Police, Sirmour	1
Superintendent of Police, Solan	1
Superintendent of Police, Chamba	1
Superintendent of Police, Kangra	1
Superintendent of Police, Una	1
Superintendent of Police, Hamirpur	1
Superintendent of Police, Mandi	1
Superintendent of Police, Kullu	1
Superintendent of Police, Bilaspur	1
Superintendent of Police, Lahaul & Spiti	1
Commandant, Bn. Junga	1
Commandant, Bn. Dharamsala	1
Commandant, Bn. Pandoh	1
Commandant, Bn. Una	1
Commandant, 4 <sup>th</sup> IR Bn., Jungle Beri, Hamirpur	1
Commandant, 5 <sup>th</sup> IR Bn., Mahila Bn. Bassi, Bilaspur	1
Commandant, 6 <sup>th</sup> IR Bn., Kolar Distt. Sirmour	1
Superintendent of Police, District Baddi	1
Superintendent of Police, (Cyber Crime) CID	1
Superintendent of Police, Law & Order PHQ	1
Superintendent of Police, Police District Nurpur	1

1	Total Senior Duty Posts	53
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	21
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	13
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	08
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	29
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	67
	<b>TOTAL AUTHORIZED STRENGTH</b>	<b>96"</b>

[F. No. 11052/06/2023- AIS-II (A)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

**Note (1):** Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Himachal Pradesh Cadre was 94.

**Note (2):** The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3351 dated 22<sup>nd</sup> October 1955. These were subsequently amended in respect of the Himachal Pradesh Cadre by the following GSR No. and date:-

S.No	GSR No.	Date
1.	455(E)	22.08.75
2.	607(E)	12.09.77
3.	344(E)	20.04.83
4.	158	18.02.84
5.	891	19.11.88
6.	537	21.09.91
7.	243	28.05.94
8.	320(E)	31.03.95
9.	740(E)	31.12.97
10.	96(E)	27.02.98
11.	47	12.01.01
12.	89(E)	16.02.07
13.	192(E)	24.03.09
14.	511(E)	16.06.10
15.	326(E)	18.03.2016